एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8447/2005
राजीव शर्मा व अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

7.5.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री एस.डी.खासपुरिया, अधिवक्ता याची की ओर से।
श्री बी.एस.छाबा, उप राजकीय अधिवक्ता।
श्री रामकुमार शर्मा, अधिवक्ता अयाची सं.3 की ओर से।
श्री एस.बी.माथुर एवं श्री संजय श्रीवास्तव, अधिवक्ता
अयाची सं.4 की ओर से।

याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका रिजर्व बैंक आफ इंडिया एवं राज्य सरकार के विरुद्व इस आशय का समादेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत की है कि वे माधव नागरिक सहकारी बैंक सिरोही का दी राजस्थान अरबन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड में विलय नहीं करे तथा इसके पुनर्जीवन हेतु बैंक के जो प्लाट जवाहर नगर जयपुर में स्थित है, को बेचकर आवश्यक संसाधन जुटावे ताकि बैंक को सुचारु रुप से चलाया जा सके एवं रिजर्व बैंक आफ इंडिया के आदेश दिनांक 30.4.2005, जिसके माध्यम से उक्त बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, को अवैध घोषित किया जावे।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा की जा रही सारी कार्यवाही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रावधानों के विपरीत है तथा राजस्थान को-आपरेटिव सोसायटीज एक्ट के प्रावधानों की भी पालना नहीं की जा रही है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस.बी.माथुर का कथन है कि जब तक रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा उक्त बैंक के विलयन के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे दी जाती, बैंक का विलय होना नहीं माना जा सकता। अत: यह रिट याचिका पोषणीय नहीं है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं। इस बाबत राजस्थान पत्रिका में दिनांक 31 मार्च, 2007 को जो समाचार प्रकाशित किया गया उसका कोई भी आधार नहीं है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के विद्वान अधिवक्ता के कथन के परिपेक्ष्य में मैं यह पाता हूं कि अभी तक याचिकाकर्ता को रिट याचिका प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अत: यह रिट याचिका पोषणीय नहीं होने के आधार पर निरस्त की जाती है। यदि याचिकाकर्ता इस याचिका में उठाये गये बिन्दुओं के बाबत कोई प्रतिवेदन रिजर्व बैंक आफ इंडिया एवं पंजीयक,राजस्थान सहकारी संस्थाऐं,राजस्थान,जयपुर के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उसका विधि अनुसार निस्तारण करेंगे।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति